कार्यालय कलेक्टर, दमोह
प्र.अ. भू-अर्जन
20 JUL 2021
अधीक्षक

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 12-02/2014/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2021

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय: **भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - शासन के विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" दिनांक 12 नवम्बर, 2014 में संशोधन।**

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमो को उनकी अधोसंरचना निर्माण कार्यो एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर, आपसी सहमति से भूमि क्रय हेतु **"आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति"** दिनांक 14 नवम्बर, 2014 से लागू है।

2/ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 12-02/2014/सात/शा.2 दिनांक 13/07/2021 द्वारा उक्त नीति में संशोधन किए गये हैं, जिसके अनुसार अब उक्त नीति अंतर्गत राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों के साथ-साथ केन्द्र शासन के विभागों एवं उपक्रमों के मामले में भी आपसी सहमति से भूमि क्रय की कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उक्त नीति अंतर्गत केन्द्र सरकार के विभागों/उपक्रमों के मामले में भमि क्रय की स्थिति में एक प्रतिशत प्रशासनिक व्यय प्रभारित होगा जो लेखा शीर्ष 0029(800)-अन्य प्राप्तियां-(0018) "भू-अर्जन से प्राप्त प्रशासनिक प्रक्रिया व्यय" मद में जमा की जायेगा।

4/ इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय राज्य शासन के विभाग के मामले में 'मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर' के नाम से तथा अन्य मामले में यथास्थिति राज्य सरकार के उपक्रम, केन्द्र सरकार के विभाग अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रम के नाम से किया जाएगा। सुलभ संदर्भ हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

कृपया अधीनस्थ समस्त राजस्व अधिकारियों यथा- उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों आदि को उक्त अधिसूचना को वेबसाइट से डाउनलोड कर अध्ययन करने तथा तद्नुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

(संलग्न: उपरोक्तानुसार)

(मुजीबुर्रहमान खान)
उप सचिव 19/7/2021
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 12-02/2014/सात/शा.2 भोपाल, दिनांक 19 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव 19/7/2021
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

1089

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ 12-2/2014/सात-2/1-2 — भोपाल, दिनांक 13/07/2021

// आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति/निर्देश में संशोधन की अधिसूचना //

क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/शा.2- राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - शासन के विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" समसंख्यक नीति/निर्देश दिनांक 12 नवम्बर, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती हैं:-

1. आपसी सहमति से क्रय नीति, 2014 को केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू किया जाता है। इस हेतु नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं:-
   - (1) परिपत्र की कंडिका 1 में "राज्य सरकार" के बाद **"अथवा केन्द्र सरकार"** शब्द जोड़े जाते हैं।
   - (2) परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 1 में "राज्य सरकार" के बाद **"अथवा केन्द्र सरकार"** शब्द जोड़े जाते हैं।
   - (3) परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है- "क्रय विलेख के पंजीयन उपरांत भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्र शासन के पक्ष में किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग/उपक्रम का नाम भी अंकित होगा।"
   - (4) परिपत्र के प्ररूप-क के विषय में शब्द "राज्य शासन" के बाद **"अथवा केन्द्र शासन"** शब्द जोड़े जाते हैं।
   - (5) परिपत्र के प्ररूप-क के प्रथम पद में "राज्य शासन" के बाद **"अथवा केन्द्र शांसन"** शब्द जोड़े जाते हैं।
   - (6) परिपत्र के प्ररूप-ख के प्रथम पद में "राज्य सरकार" के बाद "अथवा केन्द्र सरकार" शब्द जोड़े जोड़े जाते हैं।

2. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं:- "विभाग/उपक्रम सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिये क्रय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर निजी भू-धारक की क्रय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्यकतानुसार भूमि क्रय करने हेतु विभाग/उपक्रम का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में नीति अंतर्गत कार्यवाही हेतु भूमि/भू-खंड तथा उस पर स्थित स्थावर परिसंपतियों के कुल बाजार मूल्य का एक प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लिया जाएगा।"

3. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 15 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं:- "इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय राज्य शासन के विभाग के मामले में 'मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर' के नाम से तथा अन्य मामले में यथास्थिति राज्य सरकार के उपक्रम, केन्द्र सरकार के विभाग अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रम के नाम से किया जाएगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

13/7/2021

(मुजीबुर्रहमान खान)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग